

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1565 / 2008 / अलवर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, अलवर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स जय बालाजी स्टील सेंटर,  
किशनगढ़बास, अलवर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री ओ. पी. गुप्ता, अभिभाषक


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 02 / 09 / 2016

निर्णय

1. यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 122/उपा-भरत/07-08/आरएसटी में पारित किये गये आदेश दिनांक 17.10.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, अलवर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 29, 65 व 58 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 28.03.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को दिनांक 05.07.2004 से अधिनियम के तहत पंजीयन दिया गया है। व्यवसायी द्वारा आयरन एवं स्टील का व्यवसाय किया जाता है। व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2004-05 (05.07.2004 से 31.03.2005) का अस्थाई कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 28, 65 व 58 के तहत दिनांक 01.10.2005 को पारित किया गया। व्यवसाई द्वारा बावजूद नोटिस घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए संख्या 3883357 से 3883362 तक एवं 3883364 का हिसाब पेश नहीं किये जाने एवं अप्रयुक्त घोषणा प्रपत्र वापिस नहीं किये जाने के कारण प्रति घोषणा प्रपत्र रूपये 4,50,000/- की आयरन स्टील की खरीद मानते हुए दिनांक 05.07.2004 से 30.04.2005 तक का अधिनियम की धारा 28 के तहत अस्थाई कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.05.2005 को पारित किया गया, जिसे सामयिक कर निर्धारण आदेश दिनांक 01.10.2005 में समाहित कर लिया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसायी द्वारा घोषणा प्रपत्रों का हिसाब पेश नहीं किये जाने के कारण एक्साइज एवं टैक्सेशन विभाग मण्डी गोविन्दगढ़ एवं फतेहगढ़ साहिब (पंजाब)




लगातार.....2



से सूचना प्राप्त की गयी, जिसमें उक्त व्यवसायी द्वारा उक्त घोषणा प्रपत्रों के माध्यम से रूपये 61,36,100/- की खरीद किया जाना पाया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने लेखा-पुस्तकों में आलौच्य अवधि में रूपये 7,90,406/- की खरीद एवं रूपये 2,14,425/- की बिक्री दर्शाई है। इसके अलावा विवादित घोषणा प्रपत्रों के जरिये की गयी खरीद रूपये 61,36,100/- में से रूपये 5,10,308/- की खरीद लेखा-पुस्तकों से सत्यापित होती है, जबकि रूपये 56,25,792/- की खरीद का लेखा-पुस्तकों में इन्द्राज नहीं किया गया है। इस प्रकार व्यवसायी द्वारा करापवंचन की मंशा से संव्यवहारों का इन्द्राज लेखा-पुस्तकों में नहीं किया जाना मानते हुए, उक्त राशि में लाभांश एवं खर्चे जोड़ते हुए कुल राशि रूपये 61,88,371/- पर 4 प्रतिशत से कर रूपये 2,47,535/-, धारा 65 के तहत शास्ति रूपये 4,95,070/- एवं ब्याज रूपये 29,704/- का आरोपण आदेश दिनांक 28.03.2007 अन्तर्गत धारा 29, 65 व 58 से किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 06.02.2008 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि व्यवहारी द्वारा बावजूद सूचना घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए संख्या 3883357 से 3883362 तक एवं 3883364 का हिसाब पेश नहीं किया। इस बाबत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एक्सार्ज एण्ड टैक्सेशन विभाग मण्डी गोविन्दगढ़ व फतेहगढ़ साहिब (पंजाब) से प्राप्त की गई सूचना के आधार पर व्यवहारी द्वारा उक्त घोषणा प्रपत्रों के माध्यम से रूपये 61,36,100/- की खरीद किया जाना पाया गया। उक्त खरीद में से रूपये 5,10,308/- की खरीद लेखा-पुस्तकों से सत्यापित होती है, जबकि रूपये 56,25,792/- की खरीद का लेखा-पुस्तकों में इन्द्राज नहीं किया गया है। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा करापवंचन की मंशा से माल खरीद/विक्रय किया जाना प्रमाणित होता है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति पूर्णतया उचित है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश को इस आधार पर अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है कि कर निर्धारण अधिकारी ने चैकपोस्टों, वाहन मालिकों, ट्रकों से कोई जांच नहीं की गयी है, जबकि हस्तगत प्रकरण में किसी प्रकार की जांच अपेक्षित नहीं है। व्यवहारी का करापवंचन का कृत्य स्वतः प्रमाणित है। अतः अपीलीय आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध करते हुए राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।






4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जल्दबाजी में, जांच द्वारा व्यवहारी का करापवंचन का कृत्य प्रमाणित किये बगैर एवं एक्साईज एवं टैक्सेशन विभाग से प्रतिपरीक्षण का अवसर दिये बगैर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया है। व्यवहारी द्वारा किसी प्रकार का अविधिक कृत्य कारित नहीं किया गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने निम्न न्यायिक दृष्टान्त उद्धरित करते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया -

- (1) (1994) 95 एस.टी.सी. 188 (एस.सी.) फ्रिक इण्डिया लिमिटेड व अन्य बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा व अन्य
- (2) 1986 आर.टी.सी. पार्ट-I पेज 64 (राज.) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जयपुर बनाम मैसर्स राजस्थान एल्यूमिनियम इण्डस्ट्रीज, जयपुर व अन्य
- (3) (2008) 16 वी.एस.टी. 117 (इलाहाबाद) रमेश चंद्र शशिकांत बनाम आयुक्त ट्रेड टैक्स, यू.पी. लखनऊ
- (4) (2002) 1 आर.टी.आर. 40 (रा.क.बो.-खण्डपीठ) मैसर्स रामप्रसाद बाबूलाल, सुजानगढ़ बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, झुंझुनूं
- (5) (2002) टैक्स अपडेट वॉल्यूम-2 पार्ट-8 पेज 274 (रा.क.बो.-खण्डपीठ) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर बनाम मैसर्स चौपड़ा केमिकल्स, जोधपुर
- (6) (2003) टैक्स अपडेट वॉल्यूम-6 पार्ट-4 पेज 158 (रा.क.बो.) मैसर्स जगदीश प्रसाद अग्रवाल सीमेंट डीलर, नदबई बनाम उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय, जयपुर
- (7) (2015) टैक्स अपडेट वॉल्यूम-42 पार्ट-1 पेज 41 (रा.क.बो.) वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, अलवर बनाम मैसर्स विजय इण्डस्ट्रीज, खैरथल

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में मुख्य विवाद बिन्दु यह है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा घोषणा प्रपत्र एस.टी.18ए संख्या 3883357 से 3883362 एवं 3883364 का हिसाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त घोषणा प्रपत्र के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस दिनांक 16.05.2005 एवं 23.05.2005 के लिये जारी किये गये हैं, जिनका प्रत्यर्थी द्वारा नियत दिनांक को युक्तियुक्त



लगातार.....4



जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि उसके द्वारा घोषणा प्रपत्र राज्य के बाहर के व्यवहारियों को माल मंगवाने हेतु प्रेषित किये गये हैं, जो कि आते ही प्रस्तुत कर दिये जायेंगे, साथ ही घोषणा प्रपत्र त्रैमासिक रूप से प्रस्तुत किये जाते हैं, जो कि नियत दिनांक को प्रस्तुत कर दिये गये हैं, तथा अगली तिमाही पर नियत समयावधि में प्रस्तुत कर दिये जायेंगे। इसके साथ ही विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा बहस के दौरान प्रपत्र एस.टी.18 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आलौच्य अवधि के घोषणा प्रपत्रों एस.टी.18ए से सम्बन्धित समस्त विवरण अंकित है, जिसमें विवादित घोषणा प्रपत्रों का भी हिसाब लिखा हुआ है। उक्त प्रपत्र पर कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक श्री रामबाबू के प्राप्ति के हस्ताक्षर मय दिनांक 17.09.2005 किये हुए हैं। अतः यह नहीं माना जा सकता कि व्यवहारी द्वारा करापवंचन की मंशा से घोषणा प्रपत्रों का हिसाब नहीं दिया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश का मुख्य आधार यह लिया गया है कि उनके द्वारा एक्साईज एण्ड टैक्सेशन विभाग मण्डी गोविन्दगढ़ व फतेहगढ़ साहिब (पंजाब) से प्राप्त की गई सूचना के आधार पर व्यवहारी द्वारा उक्त घोषणा प्रपत्रों के माध्यम से खरीद की जाना पाया गया, किन्तु कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली में इस सम्बन्ध में किये गये पत्राचार से सम्बन्धित कोई पत्र उपलब्ध नहीं है। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी के इस तर्क में भी बल है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उन्हें पंजाब राज्य के उक्त विभागों से प्रतिपरीक्षण का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। यदि किसी व्यवहारी को किसी विभाग की जांच/रिपोर्ट के आधार पर दण्डित किया जाता है तो उन्हें प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान किया जाना बाध्यकारी है। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को पंजाब राज्य के विभागों से प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान किया जाना नहीं पाया जाता है। साथ ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पंजाब राज्य से राजस्थान राज्य में प्रवेश की चैकपोस्टों से भी जांच किया जाना पत्रावली से प्रमाणित नहीं होता है। उक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवादित घोषणा प्रपत्रों से खरीद अनुमानित करते हुए आरोपित कर, ब्याज व शास्ति न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश अपास्त किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलीय आदेश दिनांक 17.10.2007 की पुष्टि की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

कमलेश्वर  
02/05/2016  
( मनोहर पुरी )  
सदस्य